नारी और इस्लाम

संकलनकर्ता

मक़बूल अहमद फ़लाही

दो शब्द

'नारी और इस्लाम' यह पुस्तिका सर्वप्रथम यू०पी० जमाअत द्वारा लाई गई एक मुहिम के अवसर पर प्रकाशित की गई थी और इसे बड़ी ख्या में ग़ैर-मुस्लिम भाइयों के बीच वितरित किया गया था।

इस्लाम में औरत को क्या स्थान दिया गया है और उसकी क्या सेयत इस्लाम में है, इसकी एक झलक इस संक्षिप्त-सी पुस्तिका में तुत की गई है जिससे आपको अन्दाज़ा हो सकेगा कि इस्लाम नें औरत समाज में उसका सही स्थान प्रदान किया है।

इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तिका के त में एक पुस्तक-सूची भी दी गई है, जिनके अध्ययन से इस विषय इस्लाम का विस्तृत दृष्टिकोण आपके सामने आ सकेगा।

हमें आशा है कि इस पुस्तिका को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चाया जाएगा।

—नसीम ग़ाज़ी
अध्यक्ष
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि०)

विषय-सूची

'अल्लाह दयावान कृपाशील के नाम से'

नारी और इस्लाम

ूमिका

इतिहास में एक लम्बे समय से नारी पर अत्याचार होता आ रहा है। (क़ौम और हर क्षेत्र में नारी उत्पीड़ित थी। यूनान में, रूम में, मिस्र में, ाक़ में, भारत में, चीन में, अरब में, हर जगह उसपर ज़ुल्म व अत्याचार रहा था। बाज़ारों और मेलों में उसका क्रय-विक्रय होता था। जानवरों बदतर उसके साथ सुलूक किया जाता था। यूनान में एक लम्बे समय क यह बहस जारी रही कि उसके अन्दर आत्मा है भी या नहीं। रबवाले तो उसके अस्तित्व ही को अपमान समझते थे। कुछ कठोर दय लोग अपनी बेटियों को ज़िन्दा धरती में गाड़ देते थे। भारत में पति ी चिता पर उसकी विधवा जलकर भस्म हो जाती थी। निवृत्तिवादी धर्म से अपराध का स्रोत, पाप का द्वार और पाप का प्रतिरूप समझते थे। सके साथ सम्बन्ध रखने को आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में अवरोध मझा जाता था। दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में उसे समाज में ाई स्थान प्राप्त न था। वह उपेक्षणीय और अधम समझी जाती थी। से आर्थिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त न थे। वह स्वेच्छापूर्वक न-देन और कोई आर्थिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। वह शादी से हले बाप के, फ़िर पति के और उसके बाद अपने पुत्र के अधीन थी। नके प्रभुत्व को चुनौती देने की उसे अनुमति न थी। उनके द्वारा की गई शंसता और अत्याचार पर उसकी कहीं सुनवाई न थी। उसे फ़रयाद ार आपत्ति करने का भी अधिकार प्राप्त न था।

औरत और इस्लाम

इस्लाम ने औरत को ज़ुल्म व अत्याचार के खड्ड से निकाला उसके साथ इनसाफ़ किया, उसे सारे मानवीय अधिकर दिए, इज़्ज़त श्रेष्ठता प्रदान की और समाज को उसका सम्मान करना सिखाया, अं औरत की मज़लूमी व महकूमी (दासता) के ख़िलाफ़ इतने ज़ोर से आवा बुलन्द की कि सारी दुनिया उससे गूँज उठी। आज उसी का प्रभाव है वि किसी में यह साहस नहीं कि उसकी पिछली (दासता की) हैसियत को स और यथार्थपरक कह सके। क़ुरआन ने पूरी शक्ति से कहा—

> "ऐ लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया; और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें फैला दीं; और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ माँगते हो, और रिश्तों का सम्मान करो। निस्संदेह अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है।" (क़ुरआन, 4 : 1)

यह इस बात की घोषणा थी कि एक इनसान और दूसरे इनसान वे बीच जो झूठे भेद-भाव दुनिया में पैदा कर दिए गए हैं वे सब सत्य वे प्रतिकूल, निराधार और निर्मूल हैं। सम्पूर्ण मानव जाति एक ही जान र पैदा हुई है। सबकी बुनियाद एक है। पैदाइशी तौर पर न कोई श्रेष्ठ है, हीन, न कोई ऊँची जाति का है और न कोई नीची जाति का। सभ बराबर और समान अधिकार रखते हैं।

औरत की तीन हैसियतें

एक घर में औरत की तीन स्पष्ट हैसियतें हैं—माँ, बीवी, और बेटी इस्लाम ने इन तीनों की हैसियतों में उसे बड़ा ऊँचा मक़ाम प्रदान किय है।

के रूप में औरत की हैसियत

इस्लाम ख़ुदा और रसूल के बाद सबसे ऊँचा दर्जा माँ को देता है। और बाप दोनों के साथ सद्व्यवहार करने और उनके आज्ञानुपालन आदेश देता है। अतएव क़ुरआन में कहा गया है—

"और हमने मनुष्य को अपने माँ-बाप का हक़ पहचानने की ताकीद की है। उसकी माँ ने सख़्ती पर सख़्ती झेलकर उसे अपने पेट में रखा और दो वर्ष में उसका दूध छूटा। हमने आदेश दिया कि मेरे कृतज्ञ बनो और अपने माँ-बाप के भी कृतज्ञ बनो। अन्ततः मेरी ही ओर तुम्हें पलटना है।"

(क़ुरआन, 31 : 14)

अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०[1]) ने बाप के साथ भी व्यवहार की ताकीद की है, लेकिन माँ के साथ सद्व्यवहार पर उन्होंने ादा बल दिया है। आप का आदेश है—

"मैं मनुष्य को उसकी माँ के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूँ, मैं मनुष्य को उसकी माँ के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूँ, मैं मनुष्य को उसकी माँ के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूँ, मैं मनुष्य को उसके बाप के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूँ।" (हदीस : इब्ने माजा)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०[2]) फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी (सल्ल०)

सल्ल० : इसका पूर्ण रूप है 'सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम'। जिसका अर्थ है उनपर अल्लाह अपनी दया और कृपा करे! जब पैग़म्बर, नबी, रसूल हज़रत मुहम्मद का नाम लेते या लिखते हैं तो दुआ के ये शब्द बढ़ा देते हैं।

रज़ि० : इसका पूर्ण रूप है 'रज़ियल्लाहु अन्हु'। जिसका अर्थ है, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो! जब पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के किसी सहाबी (साथी) का नाम लेते या लिखते हैं तो दुआ के ये शब्द बढ़ा देते हैं।

के पास आया और पूछा—

"ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज़्यादा हक़ा कौन है ?"

आपने फ़रमाया, "तेरी माँ !"

उसने पूछा, "फिर कौन ?"

आपने फ़रमाया, "तेरी माँ !"

उसने फिर पूछा, "फिर कौन ?"

फ़रमाया, "तेरी माँ !"

उसने कहा, "फिर कौन ?"

तो आपने फ़रमाया, "तेरा बाप !" (हदीस : अल-अ-द-बुल मुफ़र

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया है—

"अल्लाह ने तुमपर हराम ठहराई है, माँ की नाफ़रमानी और लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न करना ।" (हदीस)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया—

"जन्नत माँ के क़दमों के नीचे है ।" (हदीस)

पत्नी के रूप में औरत की हैसियत

इस्लाम में औरत का स्थाई अस्तित्व स्वीकार किया गया है । निव की वजह से न तो उसका व्यक्तित्व पति के व्यक्तित्व में गुम हो जाता और न वह उसकी चेरी और दासी होती है । बीवी के बारे में क़ुरअ कहता है—

"अल्लाह की (बहुत-सी) निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नस्ल से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास आराम और शान्ति पा सको, और तुम्हारे बीच प्रेम और

दयालुता पैदा कर दी। निस्संदेह इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।" (क़ुरआन, 30 : 21)

एक दूसरे स्थान पर अल्लाह फ़रमाता है—

"मर्द औरतों के सरपरस्त (संरक्षक) और निगराँ हैं, इस कारण कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर श्रेष्ठता दी है और इस कारण भी कि मर्द अपने माल (धन) ख़र्च करते हैं। अतः जो नेक स्त्रियाँ होती हैं, वे आज्ञापालन करनेवाली और मर्दों के पीछे (अनुपस्थिति में) छिपे की अल्लाह के संरक्षण में रक्षा करनेवाली हैं।" (क़ुरआन, 4 : 34)

कभी-कभी आदमी को एक चीज़ नापसन्द होती है, लेकिन उसमें भलाई के अनगिनत पहलू होते हैं। औरतों के सम्बन्ध में क़ुरआन कहता है—

"उनके साथ भले तरीक़े से जीवन-यापन करो। अगर तुम उनको नापसन्द करते हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसन्द हो और अल्लाह ने उसमें बहुत-सी भलाई रख दी हो।" (क़ुरआन, 4 : 19)

एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से बीवी के अधिकारों के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया—

"जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ। (ग़ुस्से से बेक़ाबू होकर) उसके मुँह पर मत मारो और उसको बुरा-भला मत कहो। (उससे किनाराकशी ज़रूरी हो जाए तो) उसे घर से मत निकाल दो, बल्कि घर के अन्दर ही उससे अलग रहो।" (हदीस : अबू दाऊद)

एक अवसर पर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) फ़रमाते हैं—

"कोई मोमिन (ईश-भक्त) किसी मोमिना (धर्मपरायणा) बीवी से

नफ़रत न करे। अगर उसकी एक आदत अच्छी न लगे तो दूसरी अच्छी लगेगी।" (हदीस : मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया—

"ईमानवालों में सबसे परिपूर्ण ईमानवाला व्यक्ति वह है, जिसके अख़लाक़ (व्यवहार) सबसे अच्छे हों, और तुममें बेहतर लोग वे हैं जो अपनी स्त्रियों के हक़ में बेहतर हों।" (हदीस)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने एक जगह और फ़रमाया—

"यह संसार जीवन बिताने का सामान है और इसका सबसे बेहतर सामान नेक बीवी है।" (हदीस : मुस्लिम)

बेटी के रूप में औरत की हैसियत

अज्ञानकाल (अर्थात इस्लाम से पूर्वकाल) में अरबवासी लड़कों को गर्व का साधन और श्रेष्ठ पूँजी समझते थे, लेकिन लड़कियाँ उनके लिए बोझ थीं। उनको वे लज्जा का कारण समझते थे और उनकी चर्चा ही से उनका सिर शर्म से झुक जाता था। बल्कि कुछ कठोर हृदय बाप अपने हाथों अपनी मासूम लड़कियों को ज़िन्दा ज़मीन में दफ़न कर देते थे। क़ुरआन ने कहा—

"अल्लाह ही के लिए आसमान व ज़मीन की बादशाहत है। वह जो चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है लड़कियाँ देता है, और जिसे चाहता है लड़के प्रदान करता है। या उन्हें लड़के और लड़कियाँ दोनों देता है। और जिसे चाहता है बाँझ बना देता है। निस्संदेह वह ज्ञानवान और सामर्थ्यवान है।"

(क़ुरआन, 42 : 49-50)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने लड़कियों की परवरिश की प्रेरणा दी। फ़रमाया—

"अल्लाह जिस व्यक्ति को लड़कियों के द्वारा कुछ भी आज़माए, तो उसे चाहिए कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। ये लड़कियाँ उसके लिए जहन्नम (नरक) से बचाव का साधन होंगी।" (हदीस : बुख़ारी)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया—

"तुममें से जिसके तीन लड़कियाँ या तीन बहनें हों और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह जन्नत में अवश्य दाख़िल होगा।" (हदीस : तिर्मिज़ी)

एक अवसर पर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया—

"जो व्यक्ति दो बच्चियों का, उनके जवानी को पहुँचने तक, पालन-पोषण करेगा, क़ियामत (परलोक) के दिन वह और मैं इस तरह (मिलकर) आएँगे।" यह कहकर आपने दोनों उँगलियों को मिलाकर दिखाया। (हदीस)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया—

"जिस व्यक्ति की लड़की हो, वह न तो उसे ज़िन्दा दफ़न करे और न उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करे और न उसपर अपने लड़के को प्राथमिकता दे, तो अल्लाह उसे जन्नत में प्रविष्ट कराएगा।" (हदीस)

एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया—

"लड़कियों से घृणा मत करो, वे तो सहानुभूति की प्रतिमा और बड़ी मूल्यवान हैं।" (हदीस-मुसनद अहमद)

हज़रत सुराक़ा (रज़ि०) से अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने पूछा—

"क्या तुम्हें यह न बताऊँ कि सबसे बड़ा दान क्या है?" हज़रत सुराक़ा (रज़ि०) ने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल!

अवश्य बताएँ। आपने फ़रमाया—

"अपनी उस बच्ची पर उपकार करो जो (विधवा होने या तलाक़ दिए जाने की वजह से) तेरी ओर लौटा दी गई हो, और तेरे सिवा कोई दूसरा उसका देखनेवाला न हो।" (हदीस)

इस प्रकार इस्लाम ने स्त्रियों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित किए हैं और नैतिक रूप से भी उसे उच्च सम्मान व प्रतिष्ठा का पद प्रदान किया है।

अगर इस्लामी शिक्षाओं का जाइज़ा लिया जाए तो स्पष्ट रूप से एक औरत के निम्नलिखित अधिकार बनते हैं—

1. एक औरत को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है।

अरब के कुछ क़बीले अपनी लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न कर दिया करते थे। क़ुरआन ने उन्हें ज़िन्दा रहने का अधिकार दिया और कहा कि जो व्यक्ति उनके इस अधिकार का हनन करेगा, क़ियामत के दिन उसे ख़ुदा को जवाब देना होगा। फ़रमाया—

"उस घड़ी को याद करो जबकि उस लड़की से पूछा जाएगा जिसे दफ़न किया गया था कि वह किस अपराध में मार डाली गई थी?" (क़ुरआन, 81 : 9)

2. इस्लाम के निकट प्रत्येक बच्चा यह नैतिक और वैधानिक अधिकार लेकर जन्म लेता है कि उसके जीवन की आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाएँ और अपनी लापरवाही से उसे मौत के मुँह में न जाने दिया जाए। पवित्र क़ुरआन का आदेश है—

"बच्चा जिसका है (यानी बाप का) उसपर दूध पिलानेवाली का खाना और कपड़ा देना सामान्य नियम के अनुसार अनिवार्य है।" (क़ुरआन, 2 : 233)

3. इस्लाम ने शिक्षा का अधिकार मर्द और औरत दोनों के लिए न सिर्फ़ स्वीकार किया है, बल्कि लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया और लड़कियों के लालन-पालन और उनके शिक्षण-प्रशिक्षण और प्रसन्नतापूर्वक शादी आदि करनेवाले को जन्नत की शुभ-सूचना दी है।

4. इस्लाम ने निकाह के मामले में लड़की के वली और सरपरस्त (संरक्षक) को महत्व अवश्य दिया है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा है कि निकाह उस लड़की की अनुमति से ही होगा। अगर औरत विधवा या तलाक़ पाई हुई है तो स्पष्ट रूप से अपनी सहमति को प्रकट करेगी और कुँवारी है तो उसकी ख़ामोशी को उसकी सहमति समझ लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया—

> "बेवा व तलाक़ पाई हुई औरत का निकाह नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी राय मालूम न कर ली जाए, और अविवाहिता का निकाह नहीं होगा जब तक उसकी अनुमति न ले ली जाए।" (हदीस)

5. इस्लाम ने 'मह्‌र' को औरत का हक़ क़रार दिया है और मर्द को आदेश दिया है कि जिस औरत से उसका निकाह हो, वह हर हाल में उसे मह्‌र अदा करे। मह्‌र के बिना निकाह वैध नहीं होगा। क़ुरआन ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि—

> "औरतों को उनके मह्‌र ख़ुशदिली से दे दो।" (क़ुरआन, 4 : 4)

शादी के समय पति की ओर से पत्नी को धन, ज़ेवर या संपत्ति आदि देना अनिवार्य है, जिसे मह्‌र कहा जाता है। मह्‌र उधार भी हो सकता है परन्तु उसका तय करना अनिवार्य है। मह्‌र औरत की अपनी मिलकियत (संपत्ति) है, वही उसका अधिकार रखती है। उसके सरपरस्त (संरक्षक) का उसमें कोई अधिकार नहीं।

6. इस्लाम एक औरत के भरण-पोषण करने का अधिकार स्वीकार करता है। विवाह से पहले लड़की की परवरिश की सारी ज़िम्मेदारी बाप पर है, और विवाह के बाद उसके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी उसके पति पर आती है। अगर औरत मालदार है तो उसके लिए पति नौकर भी उपलब्ध कराएगा। यदि पत्नी पति के सम्बन्धियों के साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती, तो वह अलग मकान की माँग कर सकती है, यह उसका वैधानिक अधिकार है और पति के लिए उसका पूरा करना ज़रूरी है।

7. इस्लाम ने औरत को कारोबार और उद्यम व वृत्ति की स्वतंत्रता दी है। उसके लिए व्यापार, कृषि, लेन-देन, उद्योग व कारीगरी, नौकरी, अध्ययन-अध्यापन, पत्रकारिता व लेखनकार्य—सभी वैध कार्य करने की अनुमति है। इसके लिए वह घर से बाहर भी निकल सकती है, परन्तु वह उसपर कुछ ऐसी पाबंदियाँ अवश्य लगाता है जिससे कि पारिवारिक व्यवस्था में कोई बाधा व बिगाड़ न जन्म ले सके और उसकी स्थिरता में कोई अन्तर न आए।

8. इस्लाम ने माल व जायदाद में औरत के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार को स्वीकार किया है और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अनुचित और अवैध ठहराया है। जिस प्रकार मिलकियत का हक़ मर्द को हासिल है, ठीक उसी प्रकार औरत को भी यह हक़ हासिल है। क़ुरआन का आदेश है—

"जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके अनुसार उनका हिस्सा है, और जो औरतों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है।"

(क़ुरआन, 4 : 34)

विरासत के विधान के बारे में क़ुरआन कहता है—

"जो कुछ माँ-बाप और रिश्तेदार छोड़ें, चाहे वह थोड़ा हो या

बहुत, उसमें मर्दों का हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है—
एक निर्धारित हिस्सा।" (क़ुरआन, 4 : 7)

9. इज़्ज़त व आबरू हर इनसान की बड़ी मूल्यवान सम्पत्ति है। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त व आबरू का हक़ प्रदान किया है। एक औरत के सतीत्व पर छींटाकशी करना और उसपर बदचलनी व चरित्रहीनता का इलज़ाम लगाना इस्लाम के नज़दीक ये सभी बड़े गुनाह और जघन्य अपराध हैं। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इनसान को तबाह कर देनेवाले सात गुनाहों में से एक का उल्लेख इन शब्दों में फ़रमाया है—

"पाक दामन, ईमानवाली, भोली-भाली औरतों पर तोहमत लगाना।"

इस्लाम ने क़ानूनी तौर पर यह कठोर क़दम उठाया है कि जो व्यक्ति किसी निर्दोष औरत पर बदकारी व चरित्रहीनता की तोहमत लगाए उसे अस्सी कोड़े लगाए जाएँ। और किसी भी मामले में उसकी गवाही न स्वीकार की जाए।

10. इस्लाम एक औरत को समीक्षा व टिप्पणी करने का भी अधिकार प्रदान करता है। क़ुरआन ने मर्द और औरत दोनों को भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का आदेश दिया है।

"मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वे सब एक-दूसरे के सहयोगी
हैं। भलाई का हुक्म देते हैं, और बुराई से रोकते हैं।"
(क़ुरआन, 9 : 71)

इसमें धर्म के प्रचार-प्रसार, समुदाय के सुधार का कार्य, वैचारिक व प्रशासनिक विद्वानों व अधिकारियों की समीक्षा व टीका-टिप्पणी सब आता है। औरत का कर्त्तव्य है कि वह अपनी सीमाओं में रहते हुए इन सभी दायित्वों को पूरा करे।

औरत के अधिकारों के सिलसिले में क़ुरआन व हदीस के आदेशों

के कुछ संकेत और नमूने यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। औरत को इस्लाम और क़ुरआन ने क्या मक़ाम दिया है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित किताबों का अध्ययन उपयोगी होगा—

पुस्तकों के नाम	**लेखक**
1. औरत और इस्लाम	—जलालुद्दीन उमरी
2. औरत और प्राकृतिक नियम	—अबुल आला मौदूदी
3. परदा	"
4. पति-पत्नी के अधिकार	"

5. इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था और दहेज प्रथा—उमर हयात ख़ाँ ग़ौरी